संख्या - 12-02-6-सीटीई/एसपीआई(I)-2
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 13.01.2012

परिपत्र संख्या 03/01/2012

विषय: भारतीय एजेन्ट्स पर विचार ।

संदर्भ: आयोग के दिनांक 07.01.2003 तथा 21.04.2004 के परिपत्र सं0 12-02-6-सीटीई/एसपीआई(I)-2 ।

आयोग, प्रापण से संबंधित निविदाओं पर कार्रवाई करते समय उचित बाजार प्रतियोगिता में मूल्यों की पारदर्शिता तथा निर्धारण का अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल देता रहा है । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन बोलीदाताओं के मध्य सांठ-गांठ की संभावना को कम करने के लिए जारी किए गए थे ताकि प्रापण की मदों का उचित प्रतियोगी बाजार मूल्य निर्धारित किया जा सके ।

2. ऐसे कई संदर्भ आयोग में प्राप्त हुई हैं जिनमें निविदाओं पर कार्रवाई करते समय सामने आई कुछ विशिष्ट परिस्थितियां तथा कठिनाईयों के बारे में बताया गया है । अत:, आयोग द्वारा मामले की पुन: जांच की गई ।

3. दिनांक 07.01.2003 तथा 21.04.2004 के पिछले कार्यालय ज्ञापनों को प्रतिस्थापित करते हुए, आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रापण के सभी मामलों में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए:

क) एक निविदा में, principal/OEM की ओर से Indian agent अथवा स्वंय principal/OEM बोली लगा सकते हैं लेकिन एक ही निविदा में एक ही मद/उत्पाद के लिए दोनों एक साथ बोली नहीं लगा सकते ।

ख) यदि principal/OEM की ओर से एक एजेन्ट बोली प्रस्तुत करता है तो वही एजेन्ट उसी निविदा में उसी मद/उत्पाद के लिए किसी अन्य principal/OEM की ओर से बोली प्रस्तुत नहीं करेगा ।

4. उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निविदा शर्तों को सावधानी से तैयार किया जाए ।

5. इन दिशानिर्देशों की प्राप्ति की कृपया पावती दी जाए तथा संबंधित अधिकारियों के मध्य उनकी सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए इसे परिचालित किया जाए ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में: मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / बैंकों / बीमा कंपनियों / स्वायत्तशासी संगठनों / समितियों / संघशासित प्रदेशों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।